

प्रबंधक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या में,

अध्यक्ष/सचिव

मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशनल एण्ड धरिटेबल,

ग्राम व पो-मूडाडीहा, सांतकबीरनगर।

संस्था का नाम-आरसीओ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी

ग्राम व पो-मूडाडीहा, सांतकबीरनगर।

पत्रांक:-प्राशिप/परिषद/2022/8563

लखनऊ:दिनांक- 06-09-2022

विषय:- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पीओसीआईओ) के पत्रांक 14-56/2022-PCI(B)(Moratorium)/13220-22,14-56/2022(Approval Process for 2022-2023 as) (New Inst) Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 30 अगस्त 2022 को संदर्भित करने का कष्ट करने, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संयाचित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को "उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम-1962 (यथासंशोधित) 1974" की धारा-12(1) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पीओसीआईओ, नई दिल्ली से प्रशंगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पीओसीआईओ), नई दिल्ली के संदर्भ संख्या 14-56/2022-PCI(B)(Moratorium)/13220-22,14-56/2022(Approval Process for 2022-2023 as) (New Inst) Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 30 अगस्त 2022 एवं इस संबंध में निर्गत पीओसीआईओ के पूर्व पत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने से पूर्व परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की शर्तक हेतु प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त स्थिति भए यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति/अनापत्ति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही पीओसीआईओ एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों को अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर कराया जाएगा। पीओसीआईओ/परिषद के मानकों के क्रम में दिये गये अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

भारतीय

(एफओ आरओ खान)

सचिव

तददिनांक- 06-09-2022

पुं०सं०- प्राशिप/परिषद/2022/8564-65

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, एन०वी०सी०सी०, सेक्टर १, तीर्थ पाल, प्लॉट नं० 2, कम्युनिटी सेक्टर, मां आनन्दगढ़, मार्ग, ओखला कोज-1, नई दिल्ली-110020

Manager

A.R.C. Institute of Pharmaey
Vill & Po, Moondadiha BEG

(एफओ आरओ खान)
सचिव

MANAGER

Maulana Abul Kalam Azad E&C Trust